प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 654 सन 2021
अनवान :–

1. हेतराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. करतार पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
2. लालचन्द पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सुनिता पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी भगवनसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 189/180 की कुल 38.18120हैक में से वादी 3032/48515 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का3032/48515हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 24257/388120हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के पति लालचन्द का 24257/388120हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता रामेश्वर के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एवं सन्तलाल के नाम से दर्ज हुई थी सन्तलाल के जीवन काल में ही उसकी पत्नी ने दुसरी शादी कर ली थी वर्तमान में सन्तराम का देहान्त हो गया है इसलिये सन्तराम के हक हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक सन्तराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज रामेश्वर के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं मृतक सन्तराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की उसके द्वारा सन्तराम के जीवनकाल में ही दुसरी शादी कर ली थी इसलिये उसका अपने पूर्व पति सन्तराम की भूमि में यदि उसका हक हिस्सा है तो उसे त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 189/180 की कुल 38.18120हैक्ट में से वादी 3032/48515 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का3032/48515हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 24257/388120हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के पति लालचन्द का 24257/388120हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वज रामेश्वरलाल के देहान्त होने पर उसके पुत्रो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एव मृतक सन्तराम के नाम से दर्ज हुई है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने सन्तराम के जीवनकाल में ही दुसरी शादी कर ली थी प्रतिवादी संख्या 3 ने सन्तराम की भूमि में जो भी हक हिस्सा था उसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया की सन्तराम की सम्पति भूमि में उसका जो भी हक हिस्सा था उसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया हुआ है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 189/180 की कुल 38.18120हैक्ट में से वादी अकेला 4017/48515 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4017/48515 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 32339/388120 हिस्सा, भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है सन्तराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... गोरखाना.

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हेतराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 करतार पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
2. लालचन्द पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सुनिता पत्नी सन्तराम जाति जाट निवासी भगवनसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 189 / 180 की कुल 38.18120हैक में से वादी अकेला 4017 / 48515 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4017 / 48515 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 32339 / 388120 हिस्सा, भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है सन्तराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....गोरखाना

Scanned with CamScanner